

अधिसूचना

क्रमांक/2486/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः; छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहण्डित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110	अमलोर	114.40	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—ओड़ की ओर का जंगल पश्चिम—खोला, मैनपुर की ओर का जंगल	63	आमामोरा	गरियाबंद	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2486/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2013 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No. (1)	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Amlor	114.40	North—Forest South—Forest East—The Forest near Ood West—Khola, The Forest near Mainpur	63	Aamamora	Gariaband	Gariaband

अधिसूचना

क्रमांक/2484/2013.--यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	बुडगेलटप्पा	218.11	उत्तर—इंदागांव दक्षिण—कालामिट्टी पूर्व--उड़ीसा पश्चिम--फरसरा	82	बुडगेलटप्पा	मैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

14

No. 2484/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Budgeltappa	218.11	North—Indagaon South—Kalimitti East—Odisa West—Farsara	82	Budgeltappa	Mampur	Gariaband

गरियाबंद, दिनांक 4 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2483/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, ब्योपित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्:—

क्र. सं.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल	वनग्राम वर्गीकरण	पर्यायी संकेत	ग्राम निवासी वन सभ्य	सहयोगी	जिला
1	गुरीसगढ़	150.00	उत्तर-कच्छेया दक्षिण-मखिब दूर-सांगिवासी आसपास-सांगिवासी	73	सूरी	जैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2483/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gendramuda	114.63	North—Kuchenga South—Gariba East—Motipani West—Bhatapani	73	Kuchenga	Mainpur	Gariaband

अधिसूचना

क्रमांक/2480/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासो (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	गढ़वागे इलाक़ा नं०	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	घोटावाभरौ	108.83	उत्तर—गरहाडीह दक्षिण—झोलाराव पूर्व—खरता पश्चिम—गौरगांव	72	गरहाडीह	मैनगढ़	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2480/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recce of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest D (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-0 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the pos settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be re village, from the date of this notification, namely :—

S. No. (1)	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	Dist (8)
1.	Ghotiabharri	108.83	North—Garhadih South—Jholarao East—Kharra West—Gourgaon	72	Garhadih	Mainpur	Gariab

अधिसूचना

क्रमांक/2487/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंसीबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	हथौड़ाडीह	245.58	उत्तर—जंगल आमामोरा की ओर का दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—ओड़ की ओर का जंगल	63	आमामोरा	गरियाबंद	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2487/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Hathodadih	245.58	North—The Forest near Aamamora South—Forest East—Forest West—The Forest near Ood	63	Aamamora	Gariaband	Gariaband

कलेक्टर गरियाबंद.

गरियाबंद, दिनांक 4 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2479/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अ में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के पाठ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने पर बंदोबस्त अधिकारियों को शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक में एक राजस्व ग्राम अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	झोलाराघ	72.00	उत्तर—घोटियाभरी दक्षिण—लाटापारा पूर्व—उड़ीसा पश्चिम—गौरगांव	72	गौरगांव	मैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

9

No. 2479/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007):

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jholarao	72.00	North—Ghotiabharri South—Latapara East—Odisa West—Gourgaon	72	Gourgaon	Mainpur	Gariaband

गरियाबंद, दिनांक 4 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2485/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/साव-1 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का पड़न करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	नवागांव	95.93	उत्तर—पेण्ड्रा दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—सोंदूरनदी एवं धमतरी जिला	59	रावनडिगी	गरियाबंद	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2485/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No. (1)	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Nawagaon	95.93	North—Pendra South—Forest East—Forest West—Soundhur River and Dhamtari District	59	Ravandiggi	Gariaband	Gariaband

गरियाबंद, दिनांक 4 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2481/2013.--यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूचित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के प्राथम्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहायित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम हो अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१.	रक्सापथरा	192.92	उत्तर—कोसममूड़ा दक्षिण—मोंगराभरी पूर्व—तौरंगा पश्चिम—गोना	73	गोना	मैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2481/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rakshapathra	192.92	North—Kosam Muda South—Mograbharri East—Tourenga West—Gona	73	Gona	Mainpur	Gariaband

अधिसूचना

क्रमांक/2482/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	शुक्लाभांठा	562.09	उत्तर—ढोलसराई दक्षिण—कोकड़ी पूर्व—बरगांव पश्चिम—धमतरी जिला	73	गोना	मैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2482/2013 —Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :--

S. No. (1)	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Shuklabhatha	562.09	North—Dholsarai South—Kokdi East—Bargaon West—Dhamtari District	73	Gona	Mainpur	Gariaband

अधिनियम पोरट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुसूची क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

7

गारियाबंद जिला

क्रमांक 40]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2014—माघ 2, शक 1935

कार्यालय कलेक्टर, गरियाबंद (छ.ग.)

गरियाबंद, दिनांक 4 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2478/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति गरियाबंद के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	ताराझर	143.00	उत्तर—डड़ईपानी दक्षिण—भालाडिगो पूर्व—कुरवापानी पश्चिम—कुल्हाड़ीघाट	69	कुल्हाड़ीघाट	मैनपुर	गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2478/2013 --Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the rec of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under th sion of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest I (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-0 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the pe settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Cod (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be r village, from the date of this notification, namely :--

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	Dis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tarajhar	143.00	North—Dadaipani South—Bhaludiggi East—Kurwapani West—Kulhadighat	69	Kulhadighat	Mainpur	Garia